35

न्यायालय राजस्व मण्डल, म0प्र0 ग्वालियर

समक्षः— श्री एस0 एस0 अली
सदस्य

प्रकरण क्रमांक निगरानी 75—दो/2006 के विरूद्ध पारित आदेश दिनांक 13—01—05 के द्वारा न्यायालय अतिरिक्त कमिश्नर चम्बल संभाग मुरैना के प्रकरण क्रमांक 124/95—96/निगरानी.

.....

सोनेराम उर्फ सोनेलाल पुत्र श्री प्रभूदयाल
निवासी ग्राम ऊमरी तहसील व जिला
भिण्ड म0प्र0

.....आवेदक

विरूद्ध

.निर्मय गिरी पुजारी मौजा ऊमरी मंन्दिर
श्री उमरे महादेव ग्राम ऊमरी तहसील व
जिला भिण्ड म0प्र0

.....अनावेदक

.....

श्री एस0 के0 अवस्थी, अभिभाषक, आवेदक
श्री आर0 पी0 पालीवाल, पैनल अभिभाषक, अनावेदक

.....

आदेश

(आज दिनांक 21-12-17 को पारित)

यह निगरानी अपर आयुक्त चंबल संभाग मुरैना के विरूद्ध आदेश दिनांक 13—1—05 के विरुद्ध मध्य प्रदेश भू—राजस्व संहिता 1959 की धारा 50 के अर्न्तगत प्रस्तुत की गई है।

2– प्रकरण संक्षेप में इस प्रकारर है कि ग्राम ऊमरी तहसील भिण्ड में स्थित विवादित भूमि पर राजस्व कागजात में मिलकियत सरकार देवस्थान श्री उमरे वर महादेव जी व पुजारी निर्मयागिरी गुरु गोविन्द गिरी जाति गुसाई अंकित है, तथा खाना नंवर 4 मे प्रभूदयाल पुत्र जीमीपाल अहीर मुद्धत 12 साल अंकित है व मौके पर उपकृषक काविज है। मौजा पटवारी द्वारा बताया गया । पटवारी मौजा की रिपोर्ट के आधार पर तहसील न्यायालय भिण्ड ने अपने प्रकरण क्रमांक 536:66–67अ–68 दर्ज कर आवेदक को अतिक्रामक मानकर संहिता को धारा 248 के तहत कार्यवाही प्रारंभ की गई तथा प्रकरण में दि 08.01.83 को पुजारी निर्मयगिरी द्वारा आवेदन पेश कर अंकित किया कि प्रभूदयाल की मृत्यु हो चुकी है। सोनेलाल व दयाराम मृतक के वैध वारिस है। अतः तहसील न्यायालय द्वारा वारिसान को तलव किया गया, एवं दिनांक 24.04.91 को तहसील न्यायालय द्वारा पुजारी अनावेदक निर्मयागिरी के कथन लिये व पटवारी कथन के लिये नियत किया तहसील न्यायालय के इसी आदेश दिनांक 26.06.91 के विरुद्ध अपर कलेक्टर भिण्ड के समक्ष आवेदन द्वारा निगरानी प्रस्तुत की गई । अपर कलेक्टर ने अपने प्रकरण क्रमांक 15/90–91/ नि0 मा0 में परित आदेश दिनांक 12.12.95 द्वारा तहसील न्यायालय का प्रश्नाधीन आदेश स्थिर रखा गया । अपर कलेक्टर के उक्त आदेश के विरुद्ध आवेदक सोनेराम द्वारा अपर आयुक्त के न्यायालय में निगरानी प्रस्तुत की गई है। उनके द्वारा दिनांक 13.1.05 को निगरानी अस्वीकार की गई इसी से दुखित होकर यह निगरानी इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है।

3– उभयपक्ष के अधिवक्तागण के तर्क सुने। प्रकरण में संलग्न अभिलेखों का अध्ययन किया गया। प्रकरण के अवलोकन से पाया जाता है कि तहसील न्यायालय में सर्व प्रथम आवेदक के विरुद्ध प्रकरण दिः 7.9.68 को मौजा पटवारी के कथनो के आधार पर संचालित हुआ । वादग्रस्त भूमि माफी औकाफ विभाग मंदिर श्री

उमरे वर महादेवजी की है और मूर्ति उसकी भूमिस्वामी होकर निःशक्त श्रेणी में है। आवेदक व अनावेदक कमांक–3 के पिता द्वारा उक्त विवादित भूमि पर जमीदारीकाल से आधिपत्य कृषक होना बतलाया तथा उसके कब्जे से मुक्त न कराये जाने का उल्लेख किया है । म0प्र0भू–राजस्व संहिता 1959 की धारा 168 में स्पष्ट प्रावधान है कि मंदिर की भूमि पर किसी भी व्यक्ति को स्वत्व अंथवा स्वामित्व अर्जित नही होते और आवेदक व अनावेदक क्र0– 3 के पिता द्वारा विभिन्न न्यायालयों में निगरानी के प्रकरण को वर्ष 1968 से उलझाये हुये तथा प्रकरण का निराकरण नही होना देना चाहते है। तेहसील न्यायालय ने पुजारी निर्भयगिरी के कथन अंकित किये तथा प्रकरण मौजा पटवारी के कथन हेतु नियत किया गया है जो सही है। तेहसील न्यायालय के आदेश को अपर कलेक्टर ने स्थिर रखा है, क्यो कि आवेदक के पिता द्वारा न्यायालय के नोटिस के जवाव में विवादित भूमि को माफी औकाफ की न होना बतलाया था इसकी पुष्टि के लिये पटवारी मौजा के कथन आवश्यक है। अपर कलेक्टर द्वारा निकाले गये निष्कर्षों से भी अपर आयुक्त मुरैना संभाग मुरैना सहमत थे। इसलिये उनका आदेश दिनांक 13–01–05 स्थिर रखने योग्य है। अतः अपर आयुक्त मुरैना संभाग मुरैना का आदेश दिनांक 13–01–05 विधि प्रावधानों से उचित है।

6– उपरोक्त विवेचना के आधार पर न्यायालय अतिरिक्त कमिश्नर चम्बल संभाग मुरैना के प्रकरण क्रमांक 124/95–96/निगरानी में पारित आदेश दिनांक 13.1.05 उचित होने से स्थिर रखा जाता है । आवेदक द्वारा प्रस्तुत निगरानी सारहीन होने से निरस्त की जाती है।

(एस0 एस0 अली)
सदस्य
राजस्व मण्डल मध्य प्रदेश
ग्वालियर